संख्या-15/2019/93 ई-2/तेरह-2019-57/2016

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 29 जनवरी, 2019

विषय- आसवनी के आसवन कार्यदिवस को 330 दिन से बढ़ाकर 350 दिन एवं अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख ली0 वार्षिक से बढ़ाकर 350 लाख ली0 वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0-105/ दो-प्रा0डी0-102/ मनकापुर, दिनांक 07.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भितपत्र दिनांक 07.01.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स मनकापुर आसवनी गोण्डा को वर्ष में 330 दिवस कार्य के स्थान पर 350 कार्यदिवस तक आसवनी संचालित करने तथा आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 330 लाख ली0 वार्षिक से बढ़ाकर 350 लाख ली0 वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता से पूर्व श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग, केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था का पालन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in